रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022020-215906
CG-DL-E-04022020-215906

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] **नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2020/माघ 15, 1941**
No. 495] **NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2020/MAGHA 15, 1941**

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 15 जनवरी, 2020

का. आ. 533 (अ).—जबकि, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 की धारा 10) दिनांक 01 अप्रैल 1955 को, जो कि कतिपय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य के लिए आम जनता के हित में प्रावधान का एक अधिनियम है, को अधिसूचित किया था,

और जबकि, कच्चे जूट और जूट वस्त्र, दोनों उपरोक्त अधिनियम के अनुसूची (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक वस्तुओं के रूप में शामिल हैं,

और जबकि, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 की धारा 10) धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 4 फरवरी 2016 को जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 अधिसूचित किया था।

और, जबकि, केंद्र सरकार ने कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और उसके उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हित में और इससे संबंधित मामलों के लिए कतिपय वस्तुओं के आपूर्ति और वितरण में जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग के प्रावधान के लिए, जूट पैकेजिंग सामग्री (पीएम) (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 10); 09 मई, 1987 को अधिसूचित किया था,

और जबकि, केंद्र सरकार ने जेपीएम अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निर्धारित विनिर्देश की जूट पैकेजिंग सामग्री में, जैसा कि आदेश में निर्धारित किया जाए, इसके आपूर्ति या वितरण के उद्देश्य से पैक किए जानेवाले वस्तुओं या वस्तुओं का वर्ग या उसका ऐसा प्रतिशत, जो आदेश में निर्धारित किया जाए. अधिसूचित किया है,

और इसके अलावा, जबकि जूट आयुक्त को जेपीएम अधिनियम 1987 और केंद्र सरकार के किसी अन्य निर्देश के कार्यान्वयन के उद्देश्य से जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 की धारा 4(2) के तहत इस तरह के कार्यान्वयन के

लिए किन्हीं आयातकों, प्रोसेसरों, कच्चे जूट और जूट वस्त्र के व्यापारियों को, ऐसे विनिर्देशों के ऐसे परिमाण को चिह्नित करने के लिए या मुद्रित करने के लिए या जूट वस्त्रों को ब्रांड करने के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं, आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है,

इसलिए, 1987 के जेपीएम अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा इसके अधीन जारी किए गए आदेशों/ अधिसूचनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, और निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों की वस्तुओं और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उनके प्रतिशत के पैकेजिंग के लिए जूट बैग की गैर-योग्य श्रेणी के उपयोग पर निरोध और प्रतिबंध के उपाय के रूप में पटसन आयुक्त जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 के खंड 4(2) के अनुसरण में और अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1724(ई) दिनांक 23.5.2017 का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा जूट और जूट वस्त्र के सभी विनिर्माताओं, आयातकों, प्रोसेसरों, व्यापारियों को नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित जूट और जूट वस्त्रों को स्तंभ (3) के संगत शब्दों के अनुसार चिह्नित करने/ मुद्रित करने/ ब्रांड करने का निदेश देते है।

क्रमांक	जूट कपड़ा का वर्णन	चिह्नित/ मुद्रित/ ब्रांड किए जाने वाले शब्द
(1)	(2)	(3)
1	भारतीय जूट से पूरी तरह निर्मित प्रत्येक जूट बैग/ बोरी	(ए) जूट बैग/ बोरा के बॉडी पर "भारत में निर्मित"
2	पूरी तरह से भारतीय जूट से निर्मित भारतीय जूट उत्पादों की हर पैक्ड गांठ	(ए) गांठ के पैक शीट पर "भारत में निर्मित" और निर्माता का नाम
3	हर आयातित जूट बैग/ बोरी	(ए) " जूट बैग/ बोरी (जैसा प्रयोज्य हो) ………….(मूल देश) में निर्मित"
4	आयातित जूट का बोरा कपड़ा/ कपड़ा (लट या रोल रूप में)	(ए) " ………….(मूल देश) में निर्मित" कपड़ा, वस्त्र/तंतु की लंबाई पर हर छह फीट पर
	कच्चे जूट या जूट उत्पादों से युक्त हर आयातित पैक्ड गांठ	(ए) " ---------(मूल देश) में निर्मित"
		(बी) आयातक का नाम और पता
6	आयातित जूट का धागा	((ए) " ---------(मूल देश) में निर्मित"
		(बी) बाहर के कवर पर आयातक का नाम और पता
7	आयातित जूट से पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत में निर्मित हर बैग,	(ए) जूट बैग/ बोरी के एक तरफ " भारत में निर्मित (आयातित जूट से) "
8	पूरी तरह से या आंशिक रूप से आयातित जूट से भारत में निर्मित जूट बोरी कपड़ा	" भारत में निर्मित (आयातित जूट से)" वस्त्र/ तंतु की लंबाई पर हर छह फीट पर

पटसन आयुक्त आगे सभी निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ व्यापारियों/जूट और जूट के वस्त्र के आयातकों को निम्नलिखित अनुबंधों का पालन करने का निदेश देते हैं

(क) मुद्रण अमिट स्याही से किया जाएगा और संपूर्ण अंकन/मुद्रण/ब्रांडिंग का आकार कम से कम 2 इंच प्रति अक्षर होगा।

(ख) 25 इंच से कम चौड़ाई वाले प्रत्येक आयातित जूट बैग/ बोरी/ कपड़े में, जूट बैग/बोरी/ कपड़े के एक किनारे से करीब 150 मिमी की दूरी पर चार लगातार लाल ताना धागे और जूट बैग/बोरी/ कपड़े के दूसरे किनारे से लगभग 30 सेमी की दूरी पर चार लगातार हरा ताना धागे होने चाहिए।

(ग) उपरोक्त अंकन/ मुद्रण/ ब्रांडिंग जूट और जूट कपड़ा के प्रत्येक स्पेक्ट्रम व्यवसाय पर लागू होगी, लेकिन सभी क्षेत्रों में आयात, उत्पादन, व्यापार और विपणन तक सीमित नहीं होगी।

(घ) प्रत्येक बैग या बोरी या जूट वस्त्र कपड़ा या तंतु पर अंकन/मुद्रण/ब्रांडिंग मूल स्थान पर अर्थात् उत्पदन चरण में किया जाएगा जबकि कच्चे जूट के लिए, अंकन/मुद्रण/ब्रांडिंग गांठ बनाने के चरण में किया जाएगा।

(ङ) जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधान के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले निर्माताओं/व्यापारियों/आपूर्तिकर्ताओं/आयातकों या कच्चे जूट और जूट वस्त्र के व्यवसाय से जुड़े किन्हीं अन्य व्यक्ति (यों) के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(च) उपरोक्त मुद्रण/अंकन /ब्रांडिंग का निर्देश निर्यात उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त जूट बैग के लिए लागू नहीं होंगे; अर्थात जोकि भारत के सीमा के बाहर उपयोग के लिए है। हालाकि निर्माता प्रोसेसर व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, निर्यातक या बैग की आपूर्ति श्रृंखला में जूड़े किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन बैगों का भारत के सीमा के अन्दर/ आपूर्ति हेतु उपयोग ना किया जाए। असफल होने पर ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों,

फार्म/फर्मों/, कंपनियों या किसी अन्य एजेंसियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 7 के तहत प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

उपरोक्त आदेश, अगला आदेश तक लागू रहेगा।

[फा. सं.- जूट टी-6/1/178/जीएन/2019-I]
मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Kolkata, the 15th January, 2020

S.O. 533(E).—Whereas the Central Government has notified the Jute Packaging Materials (JPM) (Compulsory Use In Packing Commodities) Act, 1987 (No. 10 of 1987), dated 9th May 1987; to provide for the compulsory use of jute packaging material in the supply and distribution of certain commodities in the interests of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, and for matters connected therewith.

And whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred upon it vide Section 3 of the JPM Act, notifies the commodity or class of commodities or such percentage thereof, as may be specified in the order, to be packed for the purposes of its supply or distribution, in jute packaging material of required specification, as may be specified in the order.

And further whereas, the Jute Commissioner has been empowered to issue orders under Section 4 (2) of the Jute & Jute Textiles Control Order 2016, with an objective of implementation of the JPM Act 1987 and any other directive of the Central Government; to direct any importers, processors, traders of raw jute and jute textiles to mark or print or brand such quantities of such specifications of jute textiles as may be specified in the order for such implementation.

In view of the above and to ensure proper implementation of the JPM Act of 1987, and as a counter measure to impose checks and restrictions on use of non-eligible category of jute bags for packaging of specified class or classes of commodities and percentage thereof, as notified by the Central Government from time to time; the Jute Commissioner in pursuant to Clause 4 (2) of the Jute & Jute Textiles Control Order 2016 and in supersession of Notification No. S.O. 1724 (E) dated 23-05-2017, hereby directs all the manufacturers, importers, processors, traders of jute and jute textiles to mark/ print/ brand the items of jute and jute textiles as mentioned under Column (2) of the table below with the corresponding words as specified under Column (3):-

Sl. No.	Description of Jute Textiles	Words to be marked / printed / branded
(1)	(2)	(3)
1.	Every jute bag/sacking manufactured fully from Indian jute	(a) "Manufactured in India" on the body of the jute bag / sacking.
2.	Every packed bale of Indian jute products manufactured fully from Indian jute.	(a) "Manufactured in India" and name of the manufacturer on the pack sheet of the bale
3.	Every imported jute bag /sacking	(a) "Jute Bag / sacking (as may be applicable) made in ------- (Country of Origin)"
4.	Imported jute sacking cloth/fabric (in cut or roll form)	(a) "Cloth made in – (Country of Origin)", every six feet along the length on the cloth / fabric.
5.	Every imported packed bale containing raw jute or jute products	(a) "Made in ---------- (Country of Origin)" (b) Name & Address of the Importer
6.	Imported jute yarn.	(a) "Made in --------- Country of Origin" (b) Name & Address of the Importer on the outside covers.
7.	Every bag manufactured in India, fully or partially from imported jute	(a) "Manufactured in India (from imported jute)" on one side of the jute bag / sacking.
8.	Jute Sacking Cloth manufactured in India, fully or partially from imported Jute.	"Manufactured in India (From IMPORTED Jute)" every six feet along the length on the cloth / fabric.

Jute Commissioner further directs all the manufacturers / suppliers / traders / importers of jute and jute textiles to abide by the following stipulations:-

(a) Printing shall be made with indelible ink and total Marking/ Printing / branding size shall be at least 2 inches per letter,

(b) In every imported jute bag / sacking/cloth of below 25 inches in width, there should be four consecutive RED warp threads, at a distance of about 150 mm from one of the edge of the jute bag / sacking / cloth, and four consecutive GREEN warp threads at a distance of about 30 cm from the other edge of the jute bag / sacking / cloth.

(c) The above marking/ printing/ branding shall be applicable to every spectrum starting from Import, production, Trading, and Marketing across all the sectors.

(d) Every bag or sacking or jute textile cloth or fabric shall be branded at the point of origin i.e. in production stage, whereas for raw jute, the marking/ printing /branding shall be made at the baling stage.

(e) Suitable action as per provision of Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 will be taken against manufacturers / traders / suppliers or any other person(s) associated with the business of raw jute and jute textiles for any violations of this order.

(f) The aforesaid printing /marking/branding instructions shall not be applicable for jute bags meant for export purposes; i.e. for use/meant for use outside the territory of India. However, the manufacturers, processors, traders, suppliers, exporters or any other person(s) associated in the supply chain of such bags, should ensure that these bags are not used /meant to be used/supplied for use inside the territory of India, failing which suitable action against such person(s) / firm(s)/companies or any other agencies involved will be taken as per provisions under Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

The aforesaid order will be valid until further order(s).

[F. No. Jute (T)-6/1/178/GN/2019-I]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.04 16:53:20 +05'30'